UPCD010006402021

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम, चन्दौली।

उपस्थित- विकास वर्मा-I, (एच.जे.एस.)।

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-01/2021

सुखराम वयस्क पुत्र स्व0 बालकिशुन निवासी ग्राम कमालपुर परगना महाईच तहसील सकलडीहा जिला चन्दौली।

.....अपीलार्थी।

। बनाम ।

1. विद्यादेवी वयस्क पत्नी हरिपूजन राय निवासी ग्राम कमालपुर परगना महाइच तहसील सहलडीहा, जिला चन्दौली।

.....प्रत्यर्थिनी सेट नं0-1,

2. महेन्दर वयस्क पुत्र चैतु राम,
3. नखडू वयस्क पुत्र स्व0 बेचू राम,
4. रामकुमार वयस्क पुत्र सोमारू राम,
5. मंगल राम वयस्क पुत्र स्व0 शिवशंकर राम,
6. गौरीशंकर वयस्क पुत्र मराछू राम,
7. रामअवध वयस्क पुत्र स्व0 रामकिशुन राम,
8. रामाश्रय वयस्क पुत्र बेचूराम,
9. सुजीत राम वयस्क पुत्र स्व0 कमलाराम,
10. हरिदास राम वयस्क पुत्र स्व0 बेचूराम,
11. प्रभुनरायन वयस्क पुत्र अम्बिका राम,
12. रामअवतार राम वयस्क पुत्र रामकिशुन राम

सभी निवासीगण कमालपुर परगना महाइच तहसील सहलडीहा, जिला चन्दौली।

.....प्रत्यर्थीगण सेट नं0-2।

Digitally signed by VIKAS VERMA
Date: 2026.04.02 11:17:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>निर्णय</u>

प्रश्नगत अपील न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), चन्दौली द्वारा व्यवहार वाद संख्या–264 सन् 2018 सुखराम बनाम विद्यादेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांकित 27.01.2021, जिसमें अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग खारिज किया गया है, से व्यथित होकर संस्थित किया गया है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.01.2021 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रतिकूल विधि विरूद्ध ढंग से पारित किया गया है जो कानून के निगाह में स्थिर रहने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने बहैसियत वादी वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका विस्तृत विवरण वाद पत्र के अंत में दिया गया है तथा संलग्न नक्शा नजरी में बहरूप क, ख, ग, घ से प्रदर्शित किया गया है तथा वहीं पर उसकी मुकम्मल तफसील व चौहद्दी भी दी गयी है, के बाबत अपने व प्रत्यर्थीगण सेट नं0 2 को मालिक काबिज बताते हुए तथा प्रत्यर्थी सेट नंबर 1 को स्ट्रैन्जर पर्सन बताते हुए स्पष्ट वाद कारण के साथ मूल वाद वास्ते अनुतोष स्थाई व्यादेश अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल किया गया तथा प्रार्थना पत्र 6ग के माध्यम से अंतरिम व्यादेश के आदेश का निवेदन किया गया जो शपथ पत्र से समर्थित रहा तथा अपने द्वारा प्रस्तुत 6ग प्रार्थना पत्र के समर्थन में हमने खतौनी, खसरा तथा मौके की रिपोर्ट के माध्यक से अपने प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को साबित किया था तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ग व शपथ पत्र 7ग के विरूद्ध प्रत्यर्थी सेट नंबर 1 ने कोई आपत्ति या प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था बावजूद इसके माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करने में विधिक भूल किया गया है। वादग्रस्त सम्पत्ति आबादी की भूमि है जिस पर अपीलार्थी वंशमूल प्रत्यर्थीगण सेट नंबर 2 के घर मकान बने हुए हैं जिसकी लम्बाई चौडाई व चौहद्दी अमीन रिपोर्ट कागज संख्या 15ग से साबित है। इस प्रकार इण्टर लोकेटरी स्टेज पर सम्पत्ति के प्रिजर्वेशन के बिन्दु पर विचार न करके माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तकनीकी आधारों पर कानून की गलत व्याख्या करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित करने में विधिक भूल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की अनेदेखी किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.01.2021 उनके व्यक्ति मान्यताओं के प्रतिफल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.01.2021 अन्य दूसरी दृष्टियों से भी खण्डित किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि बाद तलब करने पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय व सुनने

फरीकैन पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 खण्डित किये जाय तद्नुसार अपील स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता निगरानी दाखिल करने के उपरान्त विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में यह वर्णन किया गया है कि *''वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का.सं. 6ग समर्थित शपथ पत्र का.सं. 7ग में मुख्यतः आराजी नं. 477 मि. रकबा 9 डि. स्थित मौजा कमालपुर, परगना महाईच, तहसील सकलडीहा, जनपद चन्दौली के संदर्भ में प्रतिवादीगण सेट नं. 1 को जरिए निषेधाज्ञा कब्जा दखल व उपयोग उपभाग में दखल करने से निषेधित किए जाने हेतु प्रार्थना की गयी है। उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा जिस आराजी के बाबत निषेधाज्ञा हेतु याचना की गयी है वह एक मिनजुमला खाता है जिसका विभाजन अभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश लैण्ड रिकॉर्ड मेनुअल के अनुसार मिनजुमला नं. ऐसे खाते होते हैं जो कि सिद्धांतिक रूप से विभाजित होते है परन्तु भौतिक (वास्तविक) रूप से विभाजित नहीं होते हैं। मिनजुमला संपत्ति होने के कारण विवादित संपत्ति पहचान योग्य नहीं है। अतः बिना विभाजन के समस्त भूमि पर सभी सह-भूमिधर का भूमि के प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होता है। अतः न्यायालय का निष्कर्ष है कि उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में वादीपक्ष का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है। चूंकि वादी प्रथम दृष्टया मामला इस स्तर पर साबित करने में असमर्थ है अतएव अन्य दो बिन्दुओं सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति पर विचार करना आवश्यक नहीं है।''*

6. इस प्रकार उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिस आराजी के बाबत निषेधाज्ञा हेतु अवर न्यायालय में याचना की गयी है वह एक मिनजुमला खाता है जिसका विभाजन अभी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश लैण्ड रिकॉर्ड मेनुअल के अनुसार मिनजुमला नम्बर ऐसे खाते होते हैं जो कि सिद्धांतिक रूप से विभाजित होते है परन्तु भौतिक (वास्तविक) रूप से विभाजित नहीं होते हैं। मिनजुमला संपत्ति होने के कारण विवादित संपत्ति पहचान योग्य नहीं है। बिना विभाजन के समस्त भूमि पर सभी सह-भूमिधर का भूमि के प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होता है तथा पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा ऐसा भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे स्पष्ट हो सके कि उभयपक्ष द्वारा आपस में कोई बहमी बटवारा ही किया गया हो।

7. अतः विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), चन्दौली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.01.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का भलि-भांति परिशीलन करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में कोई अविधिकता एवं अनियमितता दर्शित नहीं होती है। आलोच्य आदेश औचित्यपूर्ण है तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का भी कोई युक्तियुक्त आधार दर्शित नहीं है। अतः अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील सब्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी/वादी की ओर से दाखिल अपील सब्यय निरस्त की जाती है। विद्वान सिविल जज (जू0डि0), चन्दौली द्वारा व्यवहार वाद संख्या-264 सन् 2018 सुखराम बनाम विद्यादेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांकित 27.01.2021 पुष्ट किया जाता है। वद्वान अवर न्यायालय को इस आदेश की प्रति प्रेषित हो। निगरानी की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँकः 28.03.2026,

(विकास वर्मा-I)
अपर जनपद न्यायाधीश,
(फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम),
चन्दौली।
J.O.Code U.P. 06495

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः 28.03.2026,

(विकास वर्मा-I)
अपर जनपद न्यायाधीश,
(फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम),
चन्दौली।
J.O.Code U.P. 06495

Steno,
Kunwar Bahadur